संख्या-95/2019/1479/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च 2019

विषयः- **पं0दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुर विश्रामपुर जनपद-बलरामपुर एवं नौतनवा महराजगंज के भवन के मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-07/2019/4567/26-3-2018, दिनांक-03.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पं0दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्रामपुर, जनपद-बलरामपुर एवं नौतनवा महराजगंज के भवन के मरम्मत हेतु रू0-215.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, जिसे शासनादेश संख्या-58/2019/897/26-3-2019, दिनांक-08.03.2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत इस निर्देश के साथ शासनादेश संख्या-07/2019/4567/26-3-2018, दिनांक-03.01.2019 को पुनर्जीवित किया जाता है कि उक्त निर्माण कार्यों में जो भी कमियां हैं, उन्हें तत्काल दूर करते हुये मरम्मत कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

3- उक्त मरम्मत कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''4225-02-796-04-24-वृहद निर्माण कार्य'' मद में प्राविधानित धनराशि रूपये-500.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में पं0दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम, जनपद-बलरामपुर हेतु रू0-107.75 लाख एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नौतनवा महराजगंज के भवन मरम्मत हेतु रू0-107.67 लाख अर्थात कुल **रू0-215.42 लाख (रू0 दो करोड पन्द्रह लाख बयालिस हजार मात्र)** की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कुल लागत	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	पं0दीनदयालय उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर	215.51	107.75
2	पं0दीनदयालय उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नौतनवा महराजगंज	215.34	107.67
	योग	**430.85**	**215.42**

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था ''उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0'' से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4)-प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक (निर्माण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त कराये जायेगे।

(7)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04- अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधूरे भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-95/2019/1479/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर/महराजगंज।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी, संघ लि0, गोरखपुर, जोन।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।